राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(6)न्याय/1996 जयपुर, दिनांक 25 OCT 2016

:: अधिसूचना ::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से विशिष्ठ न्यायाधीश प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण, जयपुर जिला न्यायालय को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के रूप में गठित करती है तथा इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को इस अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त करती है एवं उक्त अधिकरण द्वारा उन्हीं प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से

25/10/16

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सैशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, जयपुर।
8. विशिष्ठ न्यायाधीश, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण न्यायालय, जयपुर जिला।
9. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

25.10.16

(डॉ0 कैलाश चन्द्र अटवसिया)
संयुक्त शासन सचिव